



प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ,बिलापुर

रिट याचिका 227 सं 790/2018

1 - कमला प्रसाद जयसवाल पिता रामजनम जयसवाल उम्र लगभग 56 वर्ष व्यवसाय- कृषि, निवासी- ग्राम कल्याणपुर, तहसील- सूरजपुर, जिला- सूरजपुर, छत्तीसगढ़।

---याचिकाकर्ता

बनाम

1 - धोला दास पिता धनु दास उम्र लगभग 47 वर्ष

2 - भोला राम पिता धनु दास उम्र लगभग 44 वर्ष

3 - नामित पिता धनु दास उम्र लगभग 57 वर्ष

सभी जाति- पनिका, पेशा- खेती, निवासी- ग्राम कल्याणपुर, तहसील- सूरजपुर, जिला- सूरजपुर, छत्तीसगढ़

4 - छत्तीसगढ़ राज्य कलेक्टर के द्वारा, अंबिकापुर, जिला- सरगुजा, छत्तीसगढ़।

-----उत्तरवादी

(वाद कारण सी. आई. एस. से लिया गया)

याचिकाकर्ता हेतु :श्री महेश पांडे, अधिवक्ता ओर से सुश्री कोमल यादव, अधिवक्ता प्रस्तुत हुई

उत्तरवादी संख्या 1 से 3 हेतु :श्री राहुल मिश्रा, अधिवक्ता

उत्तरवादी सं. 4/राज्य हेतु :श्री आर. सी. एस. देव, पैनल अधिवक्ता

माननीय श्री बिभू दत्ता गुरु, न्यायाधीश

पीठ पर आदेश



1. याचिकाकर्ता ने विविध सिविल अपील संख्या 04/2017, (कमला प्रसाद जायसवाल बनाम डोला दास एवं अन्य) में द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, सूरजपुर द्वारा पारित दिनांक 25.07.2018 के आदेश के खिलाफ भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत वर्तमान याचिका दायर की, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता की अपील को खारिज कर दिया गया था और विविध सिविल वाद संख्या 22/15 में द्वितीय सिविल न्यायाधीश वर्ग- I, सूरजपुर द्वारा पारित दिनांक 10.02.2017 के आदेश को यथावत रखा गया, जिसके द्वारा सीपीसी के आदेश 9 नियम 13 के तहत याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन को खारिज कर दिया गया था।

2. याचिकाकर्ता/उत्तरवादी का प्रकरण यह है कि उत्तरवादी क्रमांक 1 से 3/वादीगण ने वर्ष 2002 में उत्तरवादी के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा और ग्राम-पोदीपा, सूरजपुर स्थित खसरा संख्या 604 क्षेत्रफल 0.482 हेक्टेयर भूमि के संबंध में दिनांक 08.07.1991 के विक्रय विलेख को शून्य घोषित करने के लिए एक सिविल वाद प्रस्तुत किया था। याचिकाकर्ता/उत्तरवादी के अनुसार, नोटिस की तामील के बाद वह अपने अधिवक्ता के माध्यम से 11.12.2002 को विचारण न्यायालय के समक्ष पेश हुआ था। इसके बाद, 19.02.2003 तथा 16.04.2003 को पेश हुआ था। जब 13.08.2003 को न तो उत्तरवादी और न ही उसका अधिवक्ता विचारण न्यायालय के समक्ष पेश हुआ तो उसे एकतरफा कार्यवाही के लिए आगे बढ़ाया गया था। इसके बाद, 23.06.2008 पर, विचारण न्यायालय द्वारा एकतरफा आज्ञा पारित की गई तथा वादी द्वारा दायर विचारण की अनुमति दी गई, जिसके तहत 08.07.1991 को उत्तरवादी के पक्ष में निष्पादित विक्रय विलेख को अमान्य घोषित कर दिया गया था।

प्रतिवादी को एकपक्षीय डिक्री के बारे में 31.03.2009 को तब पता चला जब वादी के पक्ष में वाद भूमि के नामान्तरण हेतु तहसीलदार पिलखा से नोटिस प्राप्त हुआ। इसके बाद, उन्होंने 28.04.2009 को इसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त की और एकपक्षीय डिक्री को अपास्त करने के लिए आदेश 9 नियम 13 सीपीसी के तहत आवेदन प्रस्तुत किया। इसे विचारण न्यायालय ने दिनांक 10.02.2017 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया था। उक्त आदेश के विरुद्ध प्रतिवादी ने विविध सिविल अपील संख्या 04/2017 दायर करके अपीलीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसे भी आक्षेपित आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया। इस प्रकार, यह याचिका प्रस्तुत कि गयी है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को विचारण न्यायालय के एकपक्षीय निर्णय के बारे में तब पता चला जब उन्हें 31.03.2009 को तहसीलदार पिलखा द्वारा जारी नोटिस प्राप्त हुआ। विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत करते हैं कि सीपीसी के आदेश 9 नियम 13 के तहत आवेदन में, याचिकाकर्ता ने विचारण न्यायालय के समक्ष और अपीलीय न्यायालय के समक्ष भी ठोस और पर्याप्त कारण बताए, लेकिन उन पर सही परिप्रेक्ष्य में विचार और मूल्यांकन नहीं किया गया। याचिकाकर्ता के अनुसार, उनके अधिवक्ता द्वारा की गई चूक को उन पर स्थानांतरित नहीं किया जा सका। विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि विचारण न्यायालय और अपीलीय न्यायालय, दोनों ने सीपीसी के आदेश 9 नियम 13 के तहत याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन



को खारिज करते हुए विधिक त्रुटि की है। अपने तर्क के समर्थन में, विद्वान अधिवक्ता भागमल एवं अन्य बनाम कुंवर लाल एवं अन्य (2010) 12 एससीसी 159 मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का उल्लेख करते हैं।

4. दूसरी ओर, वादी/ उत्तरवादी संख्या 1 से 3 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने विचारण न्यायालय और अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश का समर्थन किया। विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विचारण न्यायालय द्वारा 13.06.2008 को एकपक्षीय निर्णय पारित किया गया था, क्योंकि प्रतिवादी और उसके अधिवक्ता 2003 के बाद से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। याचिकाकर्ता ने सीपीसी के आदेश 9 नियम 13 के तहत 05.05.2009 को ही आवेदन प्रस्तुत किया, वह भी बिना उचित कारण बताए। अपने तर्क के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता परिमल बनाम वीणा उर्फ भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर भरोसा करते हैं, जो 2011 (3) एससीसी 54 में रिपोर्ट किया गया था।

5. मैंने पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और तर्क एवं दस्तावेजों का अवलोकन किया है।

6. सुविधा के लिए, सी.पी.सी. के आदेश 9 नियम 13 को उद्धृत करना उचित होगा।

13. प्रतिवादी के विरुद्ध एकपक्षीय डिक्री को अपास्त किया जाता है।---

किसी भी मामले में जिसमें प्रतिवादी के विरुद्ध एकपक्षीय डिक्री पारित की जाती है, वह उस न्यायालय से, जिसके द्वारा डिक्री पारित की गई थी, उसे अपास्त करने के आदेश के लिए आवेदन कर सकता है; और यदि वह न्यायालय को यह समाधान कर देता है कि समन की तामील विधिवत् नहीं की गई थी, या जब वाद की सुनवाई के लिए बुलाया गया था, तब वह किसी पर्याप्त कारण से उपस्थित होने से निवारित था, तो न्यायालय उसके विरुद्ध डिक्री को ऐसे निबंधनों पर, जैसे कि वह खर्च, न्यायालय में भुगतान या अन्यथा, जैसा वह ठीक समझे, अपास्त करने का आदेश देगा, और वाद पर कार्यवाही करने के लिए एक दिन नियत करेगा; परन्तु जहां डिक्री ऐसी प्रकृति की है कि उसे केवल ऐसे प्रतिवादी के विरुद्ध अपास्त नहीं किया जा सकता है, वहां उसे अन्य सभी या किसी प्रतिवादी के विरुद्ध भी अपास्त किया जा सकेगा:

[इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया है कि कोई भी न्यायालय एकपक्षीय रूप से पारित डिक्री को केवल इस आधार पर अपास्त नहीं करेगा कि समन की तामील में कोई अनियमितता हुई है, यदि उसका समाधान हो जाता है कि प्रतिवादी को सुनवाई की तारीख की सूचना थी और उसके पास उपस्थित होने तथा वादी के दावे का उत्तर देने के लिए पर्याप्त समय था] [सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 72 द्वारा (1.2.1)]”



7. इस मामले में, याचिकाकर्ता/प्रतिवादी ने यह आधार नहीं लिया है कि सम्मन विधिवत तामील नहीं किया गया था। जबकि वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता और उसके द्वारा नियुक्त वकील विभिन्न तिथियों पर सिविल वाद में उपस्थित हुए और भाग लिया, तथापि 13.08.2003 से वे उपस्थित होने में विफल रहे, जिसके लिए विचारण न्यायालय ने एकपक्षीय कार्यवाही की। दिनांक 23.06.2008 के निर्णय और डिक्री के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी एकपक्षीय रहे और मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद; विधि की उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद; और इस तथ्य पर भी विचार करते हुए कि प्रतिवादी सिविल मुकदमे की कार्यवाही में भाग लेने में विफल रहा, एकपक्षीय निर्णय और डिक्री पारित की गई।

8. विद्वान विचारण न्यायालय ने मामले के सभी पहलुओं पर विस्तार से विचार करने के बाद, सीपीसी के आदेश 9 नियम 13 के तहत आवेदन को खारिज कर दिया। इसने यह भी स्पष्ट रूप से निष्कर्ष दर्ज किया है कि प्रतिवादी को मुकदमे में विधिवत तामील की गई थी और प्रतिवादी भी विषयगत आवेदन दायर करने में देरी के संबंध में कोई उचित स्पष्टीकरण देने में विफल रहा। इसके बाद, अपीलीय न्यायालय ने भी अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अध्ययन करने के बाद प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत विविध सिविल अपील को सही रूप से खारिज कर दिया।

9. परिमल (सुप्रा) में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा था कि सीपीसी के आदेश 9 नियम 13 के तहत आवेदन का निर्धारण करने के लिए, यह कसौटी लागू की जानी चाहिए कि क्या प्रतिवादी ने ईमानदारी और निष्ठा से मुकदमे की सुनवाई के समय उपस्थित रहने का इरादा किया था और ऐसा करने के लिए उसने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया था। इस प्रकार, पर्याप्त कारण वह कारण है जिसके लिए प्रतिवादी को उसकी अनुपस्थिति के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। इसलिए, आवेदक को उचित बचाव के साथ न्यायालय का दरवाजा खटखटाना चाहिए। सीपीसी का आदेश 9 नियम 13 प्रतिवादी को एकपक्षीय डिक्री को रद्द करने के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की अनुमति देता है, जो उसकी अनुपस्थिति में उसके विरुद्ध पारित एक डिक्री है। सफल होने के लिए, प्रतिवादी को यह प्रदर्शित करना होगा कि समन की तामील विधिवत नहीं की गई थी या जब वाद की सुनवाई निर्धारित की गई थी, तब उन्हें पर्याप्त कारणों से उपस्थित होने से रोका गया था। हालाँकि, इस मामले में प्रतिवादी/याचिकाकर्ता यह साबित करने में पूरी तरह विफल रहा कि उसने पर्याप्त कारणों से न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

10. वर्तमान मामले के तथ्यों पर विधि के सुस्थापित सिद्धांतों को लागू करते हुए तथा विचारण न्यायालय और अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेशों पर विचार करते हुए; विशेष रूप से इस तथ्य पर विचार करते हुए कि वाद 2002 में दायर किया गया था और उसके बाद प्रतिवादी अपने अधिवक्ता के माध्यम से 2003 तक उपस्थित रहा और उसके बाद विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहा; तथा इस तथ्य पर भी विचार करते हुए कि एकपक्षीय निर्णय 23 जून, 2008 को पारित किया गया था और प्रतिवादी ने 5 मई, 2009 को आदेश 9 नियम 13 सीपीसी के तहत विषयगत आवेदन प्रस्तुत किया, वह भी पर्याप्त और ठोस कारण बताए बिना, मैं इस सुविचारित दृष्टिकोण पर हूँ कि दोनों न्यायालयों ने अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के



आधार पर तथ्य का सही निष्कर्ष दर्ज किया है। विद्वान विचारण न्यायालय तथा अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेशों में हस्तक्षेप करने का कोई उचित आधार नहीं है।

11. अतः, यह रिट याचिका, जिसमें कोई सार नहीं है, यह खारिज करने योग्य है तथा इसके द्वारा खारिज कर दिया जाता है तथा पक्षकारों को अपना खर्च स्वयं वहन करना होगा है।

सही / -

(बिभू दत्त गुरु)

न्यायाधीश



हेड नोट :

“सीपीसी के आदेश 9 नियम 13 के तहत एक आवेदन में सफल होने के लिए प्रतिवादी को न्यायालय को यह संतुष्ट करना होगा कि उसकी अनुपस्थिति एक उचित कारण और अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण थी जो उसे उपस्थित होने से रोक रही थी”



(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।